भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

 **राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 58**

**बुधवार, 18 जुलाई, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**मेक इन इंडिया कार्यक्रम का नवीकरण**

**अता.प्र.सं. 58. श्री संजय सिंहः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार की योजना के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को दस प्रमुख क्षेत्रों

पर फोकस करते हुए 'मेक इन इंडिया 2.0' के रूप में नवीकृत करने की है;

(ख) योजना के दायरे को पूर्व के पच्चीस क्षेत्रों की बजाए दस क्षेत्रों तक कम करने के क्या

कारण हैं;

(ग) पूर्व के पच्चीस क्षेत्रों में से दस क्षेत्रों का चयन करने के आधार का ब्यौरा क्या है;

(घ) दस प्रमुख क्षेत्रों और सभी पच्चीस क्षेत्रों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अधिकांश क्षेत्रों के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के कारण यह कदम उठाया जा रहा है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी. आर. चौधरी)**

**(क) से (ङ):** ‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरूआत 2014 में हुई थी। 25 क्षेत्रों के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजनाओं की समीक्षा की गई है और अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों की कार्रवाई योजनाओं का समन्वय कर रहा है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत पहले के 25 क्षेत्रों की सूची का समन्वय कार्य किया जा रहा है और 27 क्षेत्रों की नई संशोधित सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**दिनांक 18.07.2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए नियत राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 58 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

**‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत 25 क्षेत्रों की सूची**:

1. ऑटोमोबाइल
2. ऑटो संघटक
3. विमानन
4. जैव-प्रोद्योगिकी
5. रसायन
6. निर्माण
7. रक्षा विनिर्माण
8. इलैक्ट्रिकल मशीनरी
9. इलेक्‍ट्रोनिक सिस्‍टम
10. खाद्य प्रसंस्‍करण
11. आईटी और बीपीएम
12. चमड़ा
13. मीडिया और मनोरंजन
14. खनन
15. तेल और गैस
16. फार्मास्यूटीकल्स
17. पत्‍तन और पोत परिवहन
18. रेलवे
19. नवीकरणीय ऊर्जा
20. सडक और राजमार्ग
21. अंतरिक्ष
22. वस्‍त्र एवं परिधान
23. ताप वि‍द्युत
24. पर्यटन एवं आतिथ्य और
25. स्‍वास्‍थ्‍य

**27 क्षेत्रों की संशोधित सूची**

(i) एयरोस्पेस और रक्षा

(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो घटक

(iii) औषध निर्माण और चिकित्सा उपकरण

(iv) जैव प्रौद्योगिकी

(v) पूंजीगत सामान

(vi) वस्त्र और परिधान

(vii) रसायन और पेट्रो रसायन

(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मेन्युफेक्चरिंग (ईएसडीएम)

(ix) चमड़ा और जूते

(x) खाद्य प्रसंस्करण

(xi) रत्न और आभूषण

(xii) पोत परिवहन

(xiii) रेल

(xiv) निर्माण

(xv) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

(xvi) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)

(xvii) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं

(xviii) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल

(xix) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं

(xx) लेखा और वित्त सेवाएं

(xxi) श्रव्य दृश्य सेवाएं

(xxii) कानूनी सेवाएं

(xxiii) संचार सेवाएं

(xxiv) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं

(xxv) पर्यावरण सेवाएं

(xxvi) वित्तीय सेवाएं

(xxvii) शिक्षा सेवाएं

\*\*\*\*\*